Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण संख्या 71/2022

लखसिंह पुत्र श्री तारासिंह जाति मजबीसिख निवासी वार्ड सं0 2 तहसील श्रीकरणपुर जिला श्री गंगानगर।

अपीलार्थी

1. गुरविन्द्रसिंह पुत्र श्री गुरमीतसिंह निवासी वार्ड सं0 1 गुरूसर तह0 श्रीकरणपुर।
2. जग्गासिंह पुत्र श्री गुरदाससिंह उर्फ मलसिंह निवासी श्री करणपुर
3. टी0टी0सिंह उर्फ जगजीतसिंह पुत्र श्री तोतासिंह निवासी वार्ड सं0 1 गुरूसर तह0 श्री करणपुर
4. लालसिंह जलन्धरसिंह पुत्र प्यारासिंह जाति जटसिख निवासी रड़ेवाली तह0 श्री करणपुर
5. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ0 धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश तहसीलदार, श्रीकरणपुर दिनांक 2–2–2022 जिसकी रूह से पेड़ों की निलामी स्वीकृत की गई, को मन्सूख करने के संबंध में।

उपस्थित

1. श्री ओमप्रकाश बतरा, एडवोकेट , अपीलार्थी की ओर से
2. श्री बलकरणसिंह बराड़, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस

।। निर्णय ।।

दिनांक: 24–06–2022

हस्तगत अपील के सक्षेंप में सारवान तथ्य इस प्रकार हैं कि मेहरसिंह पुत्र ईशरसिंह को भारत सरकार द्वारा चक 5 एफ तह0 श्री करणपुर के मु0 नं0 11 से 14, 16 से 25 में 12 बीघा 10 बिस्वा रकबा अलॉट किया गया था। मेहरसिंह के देहान्त के बाद उसके वारिस उसकी लड़कियॉं गुढ्डी देवी और मूर्ति देवी थी। उपरोक्त रकबा किश्तों के अभाव में खारिज हो गया था जिसके खिलाफ अति0 जिलाधीश एवं सैटलमेन्ट कमिश्नर के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई जो दिनांक 17–6–2005 को स्वीकार हुई। इसी बीच डीपीसी एण्ड आर एक्ट रिपील होने की वजह से कार्यवाही रिमाण्ड केस की समाप्त कर दी गई जिसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय , जोधपुर में निगरानी पेश की गई जिसमें स्थगन आदेश जारी

Scanned with OKEN Scanner

हुआ तथा दिनांक 10–5–2006 को रिट याचिका स्वीकार की गई तथा यह आदेश दिया गया कि 6 माह के अन्दर–2 निर्णय पारित किया जावे। पत्रावली उपखण्ड, श्री गंगानगर से स्थानान्तरित होकर उपखण्ड श्री करणपुर भेजी गई। उपखण्ड अधिकारी, श्री करणपुर द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया गया जो आज भी विचाराधीन है। इसी बीच में गुड्डी देवी ने दिनांक 24–7–12 को उपरोक्त रकबा को बेचान करने का इकरारनामा किया तथा कब्जा सौंप दिया गया। तब से कब्जा अपीलांट के पास चला आ रहा है। राज्य सरकार द्वारा पक्के खालों का निर्माण करने के अदेश दिये जिसपर अपीलांट की खरीद शुदा भूमि चक 5 एफ ए मु0 नं0 11 के कि0 नं0 16 से 25 में शीषम के 8 पेड़, किकर के 4 पेड़ एवं बेरी का 1 पेड़ तथा सूखे हुए 8 पेड़ थे जो अपीलांट की खरीद शुदा भूमि पर थे। खाला सी ए डी विभाग द्वारा बनाया गया था। रेस्पो0 सं0 2 से 4 द्वारा जो पेड़ खाले के बट पर थे दिनांक 28–1–22 को दोपहर करीब 2.00 बजे काटने की कौशिश करने लगे तो अपीलान्ट ने उन्हें रोका। अपीलांट रात के 10 बजे तक वहीं रहा। रात 10 बजे के बाद अपीलांट अपने घर वापिस आ गया । रातों रात रेस्पो0 सं0 2 से 4 के द्वारा पेड़ काट लिए गए। सुबह अपीलांट ने देखा तो तमाम पेड़ कटे पड़े थे। अपीलांट ने दिनांक 29–1–22 को पुलिस थाना, श्री करणपुर एवं तहसील, श्री करणपुर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने बिना अपीलांट को नोटिस दिये दिनांक 31–1–22 को केवल 70,000–00 रू0 में इसकी बोली इन्हीं लोगों के बीच दिखाकर रेस्पो0 सं0 1 के पक्ष में कर दी जबकि इन पेड़ों की निलामी करवाई जाती तो करीब पॉच लाख रूपये की कीमत होती। उपरोक्त किले जिसमें पेड़ लगे हुए थे जिसका हकदार अपीलांट था। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश गैरकानूनी है। निलामी से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आम सूचना जारी की जानी चाहिये थी जो नहीं की गई है। पेड़ काटने की सूचना तहसीलदार को दे दी गई थी लेकिन तहसीलदार ने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। रिसीवर का आदेश सैटलमेन्ट कमिश्नर द्वारा निरस्त कर दिया गया था। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी निर्णय अलॉटी के पक्ष में किया गया था। उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी स्थगन आदेश आदिनांक तक प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निलामी की प्रक्रिया विधिपूर्ण नहीं अपनाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई।अधीनस्थ न्यायालय का अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निलामी की कार्यवाही विधिपूर्वक नहीं की गई है। निलामी उन्हीं लोगों के बीच में की जाकर केवल मात्र 70,000/– रू0 में उच्चतम बोली दर्शायी गई है जबकि विधि अनुसार सार्वजनिक सूचना जाकरी की जाकर प्रचार प्रसार किया जाकर सात दिवस का समय दिया जाता और निलामी कराई जाती तो पॉच लाख रू0 की आय

प्राप्त होती। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् कार्यवाही कर, निलामी से पूर्व प्रचार–प्रसार किया जाकर निलामी की कार्यवाही की गई है। जिन लोगों द्वारा निलामी में भाग लिया गया है, उनके नाम निलामी सूची में अंकित हैं। अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में बोली छोड़ी गई है। फर्द मौका बनाया गया है। मौके पर उपस्थित सभी के हस्ताक्षर फर्द मौका पर करवाये गये हैं। अतः अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार, श्री करणपुर को दिनांक 27–1–22 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि आदेश दिनांक 25–1–22 की पालना में मु0 नं0 11/3.162 है0 बारानी मय खाला जो "राष्ट्रपति भारत सरकार" के नाम से दर्ज है जिसपर मा0 उच्च न्यायालय, जोधपुर सिविल रिट याचिका सं0 7856/18 अमरसिंह बनाम कलक्टर आदि का अंकन लाल स्याही से है। इस रकबे नं0 11/16.25 में 1/2 – 1/2 खाला स्वीकृत । रकबा में फर्द मौका के अनुसार कुल पॉच पेड़ शीशम, बबूल चार पेड़ व एक छोटा पेड़ बेरी का पेड़ है। सी ए डी द्वारा बनाये जा रहे पक्का खाला के बीच में पेड़ आ रहे हैं, जिनको हटाया जाना है। रिपोर्ट के साथ ही पटवारी हल्का द्वारा फर्द मौका तैयार किया गया है। फर्द मौका पर रेस्पो0 सं0 1 से 3 तथा राजपाल एवं निशानसिंह के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। फर्द मौका रिपोर्ट में इस तथ्य का अंकन किया गया है कि उक्त पेड़ खाला निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं जिन्हें हटाया जाना आवश्यक है। दिनांक 31–1–22 को भू0 अभि0 निरीक्षक द्वारा दिनांक 31–1–22 को प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार चक 5 एफ ए के मु0 नं0 11 के कि0 नं0 16 एवं 25 में पक्का खाला निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रहे छोटे बड़े दस पेड़ों क्रमशः 5 शीशम, 4 किकर एवं 1 बेरी के पेड़ों की निलामी दिनांक 31–1–22 को मौके पर आयोजित की गई, जिसमें उच्चतम बोली सत्तर हजार रू0 गुरविन्द्रसिंह निवासी वार्ड सं01 गुरूसर द्वारा दी गई। मौके पर एक चौथाई राशि 17500/– रू0 जमा करवाकर फर्द रिपोर्ट निलामी आगामी कार्यवाही/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई।फर्द निलामी रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–1–22 की पालना में निलामी करवाई गई है। निलामी की सूचना उसी दिन ग्राम पंचायत 6 एफ ए रड़ेवाला के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने एवं ग्राम में मुनादी प्रचार–प्रसार करने हेतु पटवारी को पाबन्द कर जनसाधरण को अवगत करवाया गया था। फर्द निलामी के अनुसार प्रथम चरण में अधिकतम बोली 46,500/– रू0 रही, द्वितीय चरण में 61,000/– रू0 रही एवं तृतीय चरण

Scanned with OKEN Scanner

ने अधिकतम बोली रेस्पो0 सं0 1 की सत्तर हजार रू0 रही। फर्द निलामी पर उपस्थित सभी लोगों के हस्ताक्षर करवाये गये है। अधिकतम बोली के उपरांत तीन बार आवाजें लगाने के बाद आगे बोली नहीं आने पर उच्चतम बोलीदाता से 25 प्रतिशत राशि मौके पर जमा करवा कर शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर पेड हटाने की कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। दिनांक 3-2-22 को जरिये चालान 70,000/- जमा हुए जिसकी रिपोर्ट दिनांक 3-2-22 को भू अभि0 निरीक्षक द्वारा तहसीलदार को दी गई। दिनांक 11-2-22 की रिपोर्ट में भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थी (अपीलांट) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की जॉच हेतु मौका निरीक्षण किया गया प्रार्थी बुलाने पर मौके पर नहीं आया। मौका निरीक्षण में पेड़ों को हटाये जाने के कोई निशान नजर नहीं आये और न ही उपस्थित लोगों ने प्रार्थी के कोई पेड पूर्व से पडे होने बताए। निलामीग्रहिता द्वारा भी दूरभाष पर केवल निलामी में प्राप्त पेडों को ही हटाना बताया। इस जॉच का भी फर्द मौका तैयार किया गया है जिसपर रेस्पो0 सं0 1 व 3 तथा गुरजन्टसिंह व जगतारसिंह के हस्ताक्षर करवाये गये हैं।

अपीलांट द्वारा दौराने बहस फार्म नं0 3 के साथ सी0 डी0 एवं पैन ड्राईव प्रस्तुत की गई । न्यायालय द्वारा पैन ड्राइव को कम्प्यूटर पर चला कर देखा गया। पैन ड्राईव में कटे हुए पेडों के चित्र एवं विडियो देखी गई। कुछ पेड निश्चित रूप से अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन अधिकतर पेड़ झाड़ झंकार की आकृति के होने पाये गये हैं। मेरे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निलामी की कार्यवाही की गई है तथा निलामी में जो उच्चतम बोली प्राप्त हुई है, उसी के अनुरूप बोली छोडी गयी है। अपीलांट का यह कहना कि सार्वजनिक निलामी कुछ दिन का समय देकर प्रचार-प्रसार के द्वारा करवाई जाती तो पॉच लाख रूपये की आय प्राप्त हो सकती थी। यह मात्र काल्पनिक कथन है।

अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों में यह अंकित किया है कि उसने महरसिंह के विधिक उत्तराधिकारियों मु0 गुड़डी देवी व मूर्ति से प्रश्नगत रकबा जरिये इकरारनामा खरीद कर लिया था। पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 7-1-22 के अनुसार राजस्व रेकार्ड में भूमि " राष्ट्रपति भारत सरकार" के नाम से दर्ज है । अपीलांट द्वारा यदि भूमि खरीद कर ली गई थी तो उसका विधिसम्मत तरीके से पंजीयन करवाया जाना चाहिये था। जो नहीं करवाया गया है। यही नहीं दिनांक 11-2-22 को प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जॉच मौका निरीक्षण कर की गई है और तत्समय अपीलांट/प्रार्थी को मौके पर दूरभाष से सूचना देकर बुलाया गया, लेकिन वह मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। अतः ऐसी स्थिति में, मेरे विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई निलामी की कार्यवाही विधिसम्मत प्रतीत होती है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के परिणामस्वरूप, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधिपूर्ण एवं कानूनी प्रावधानों की पालना कर पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 24–06–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अति0 जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर।